न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या : 2018/21

1. मन्दिर श्री बिहारीजी जरिये पुजारी श्री ओम प्रकाश भारद्वाज पुत्र स्व0 श्री हनुमान सहाय भारद्वाज, निवासी बिहारी बाजार, बगरू कलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश
2. सीताराम
3. कैलाश
4. बंशी
5. केसर लाल

पुत्रान् स्व0 श्री हनुमान जाति यादव निवासी उॅती रोड, पेट्रोल पम्प के सामने, बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

6. श्रीमती रूकमा देवी पत्नी स्व0 श्री हनुमान निवासी उॅती रोड, पेट्रोल पम्प के सामने, बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. गोपाल पुत्र स्व0 श्री चोगान
8. रामसहाय
9. मोहन
10. राधेश्याम

पुत्रान् स्व0 श्री मांगू उर्फ मांगीलाल, जाति–यादव निवासीयान–ऊंती रोड, मलिक फार्म के सामने, बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 28.08.2019

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ पेश किया गया कि ग्राम बगरूकलां, पटवार हल्का बगरूकलां, भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरू कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में मंदिर श्री बिहाराजी स्थान देह खातेदार के नाम से

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

खातेदारी भूमि है जिसके वर्तमान खसरा नंबर 4020 रकबा 0.40 है0, 4021 रकबा 0.36 है0, 4022 रकबा 0.01 है0, 4023 रकबा 0.34 है0, 4024 रकबा 0.17 है0, 4025 रकबा 0.22 है0, 4027 रकबा 0.35 है0, 4028 रकबा 0.12 है0, 4029 रकबा 0.28 है0, 4030 रकबा 0.51 है0, 4031 रकबा 0.21 है0, 4032 रकबा 0.20 है0, 4034 रकबा 0.38 है0, 4035 रकबा 0.22 है0, 4036 रकबा 0.24 है0, 5495 रकबा 0.1300 है0, 5496 रकबा 0.0300 है0, 5497 रकबा 0.2700 है0, 5500 रकबा 0.2800 कुल खसरा 20 कुल रकबा 5.7300 हैक्टेयर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसे इस प्रार्थना पत्र में आगे विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। मंदिर श्री बिहारीजी की पूजा अर्चना, भोग व देखरेख एवं मंदिर निर्माण का समस्त कार्य वर्तमान में प्रार्थी द्वारा एवं इनके परिवार द्वारा किया जा रहा है तथा पूर्व में इनके पूर्वजो द्वारा उक्त मंदिर की सेवा–पूजा व अर्चना की जाती रही है। उक्त भूमि सेवा–पूजा व भोग के लिए मंदिर श्री बिहाराजी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मंदिर श्री बिहाराजी की पूजा अर्चना एवं भोग राज व मंदिर माफी की वादग्रस्त भूमि की देखरेख शुरू से ही प्रार्थी एवं इनके पूर्वजो द्वारा की जाती रही है क्योकि मंदिर श्री बिहाराजी परपिच्यूअल माईनर है तथा शाश्वत नाबलिग की सम्पत्ति ना तो विक्रय की जा सकती है और ना ही किसी अन्य में मंदिर सम्पत्ति का हस्तान्तरा हो सकता है। मंदिर संम्पत्ति का पूर्व में यदि किसी के द्वारा भी विक्रय किया गया होगा तो वह विक्रय व हस्तान्तरा अवैध होने के कारण शून्य प्रभावी है मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने के कारण अपने अधिकार और किसी में हस्तान्तरित नहीं कर सकती है और ना ही कोई और चाहे वह पूजारी ही क्यो नही हो मंदिर सम्पत्ति का अन्तरण किसी भी प्रकार से किसी को नहीं कर सकता है इसलिए हस्तान्तरण अवैध व शून्य है। वर्तमान में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भी उक्त सम्पत्ति मंदिर श्री बिहाराजी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा उसके उपयोग उपभोग का सम्पूर्ण अधिकार मंदिर की पूजा अर्चना करने वाले पूजारी व मंदिर द्वारा बने हुये ट्रस्ट में निहित है अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 को कोई अधिकार मंदिर की सम्पत्ति होने के कारण विवादित भूमि में नही मिल सकते है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 आये दिन मंदिर की भूमि पर नाजायज कब्जा करने व कब्जे के आधार पर विक्रय करने की कोशिश करते रहते है। अप्रार्थीगण आये दिन मंदिर भूमि पर फसल बोने को लेकर लडाई झगडा करते रहते है व आये दिन पुलिस द्वारा इन्हे पकडकर ले जाया जाता है। मंदिर सम्पत्ति को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

10 द्वारा अपने लडाई झगडे का अखाडा बना हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 को अनेको बार मंदिर पूजारी व इनके परिवार द्वारा मना करने के उपरांत भी यह लोग बाहुबल के आधार पर मंदिर की भूमि में फसल आदि बो देते है तथा पूजारी द्वारा बोई फसलो को काटकर जबरन ले जाते है। मंदिर मांफी की भूमि भगवान के भोग के लिए होती है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 अपने बाहुबल के आधार पर नाजायज व अवैधानिक तरीके से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने, काश्त करने व कब्जे के आधार पर विक्रय करने पर उतारू है जिसका अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। मंदिर माफी की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 के कोई विधिक अधिकार सृजित नहीं होते है। मंदिर में मूर्ति के भोग की आमदनी का इस भूमि के अतिरिक्त और कोई जरिया नहीं है। दिनांक 31.05.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा एवं इनके द्वारा लाये गये 25–30 लोग चार–पांच ट्रेक्टर ट्रालिया, कुल्हाडिया, गेतियां, कटर एवं रस्से आदि लेकर वादग्रस्त भूमि पर आये और हरे पेडो का काटना शुरू कर दिया आस पास के लोगो द्वारा सूचना देने पर प्रार्थी व इनके परिवार के लोग वहा गये और पेड काटने से मना किया तो उल्टे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व इनके साथ आये लोगो ने चुपचाप चले जाने के लिए कहा गया प्रार्थी द्वारा पेड काटने से मना करने के लिए ज्यादा जोर देकर कहा गया तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा जान से मारने की धमकी देकर उन्हें वहां से भगा दिया तभी वहां पर अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 10 आ गये और अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य इतना होने के उपरांत भी मंदिर माफी की भूमि में से 100–125 पेडो को काटकर ले गये और धमकी देकर गये कि हमने सबको खरीद रखा है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड सकता है इन सबसे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 मंदिर माफी की भूमि को हडप करने पर उपयोग उपभोग करने व नाजायज कब्जा करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थी का काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि मंदिर श्री बिहाराजी की भूमि जिसके वर्तमान खसरा नंबर 4020 रकबा 0.40 है0, 4021 रकबा 0.36 है0, 4022 रकबा 0.01

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

है0, 4023 रकबा 0.34 है0, 4024 रकबा 0.17 है0, 4025 रकबा 0.22 है0, 4027 रकबा 0.35 है0, 4028 रकबा 0.12 है0, 4029 रकबा 0.28 है0, 4030 रकबा 0.51 है0, 4031 रकबा 0.21 है0, 4032 रकबा 0.20 है0, 4034 रकबा 0. 38 है0, 4035 रकबा 0.22 है0, 4036 रकबा 0.24 है0, 5495 रकबा 0.1300 है0, 5496 रकबा 0.0300 है0, 5497 रकबा 0.2700 है0, 5500 रकबा 0.2800 कुल खसरा 20 कुल रकबा 5.7300 हैक्टेयर वाकै ग्राम बगरूकलां, पटवार हल्का बगरूकलां, भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित विवादग्रस्त भूमि के किसी भी भू–भाग पर नाजायज कब्जा करने व कब्जे के आधार पर अन्य किसी को भी विक्रय, रहन, मोर्गेज इत्यादि नहीं करे तथा प्रार्थी के उपयोग उपभोग किये जाने में किसी भी प्रकार की बाधा, व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त विवादित कृषि भूमि अथवा उसके किसी भी भू–भाग पर किसी प्रकार का कोई भी निर्माण कच्चा या पक्का ना तो स्वयं करे, ना ही करावें, नाजायज कब्जा कर फसल बोने, हरे पेड काटने व तारबंदी करने से निषेंध रहें। अप्रार्थीगण ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, कर्मचारी, परिवारजन, रिश्तेदार प्रतिनिधि आदि से करावे तथा मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ जमाबंदी फोटो प्रति संवत 2070–2073 व फोटोग्राफ पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता0 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आयें। अप्रार्थी संख्या 7 ता0 10 अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विचाराधीन प्रकरण में बहस उभयपक्ष टीआई सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित अन्य प्रकरणों (टीआई संख्या 11/2019 बउनवानी रामनारायण बनाम मंदिर श्री बिहाराजी व टीआई संख्या 39/2017 बउनवानी गोपाल बनाम जगदीश वगै.) में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जाकर उभयपक्ष को पाबंद किया गया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र में भी मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली का मय मूलवाद व संबंधित प्रकरणों का अवलोकन किया गया। संबंधित अन्य प्रकरणों में न्यायालय द्वारा मूलवाद

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

के निस्तारण तक उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र में मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात खसरा नंबर 4020 रकबा 0.40 है0, 4021 रकबा 0.36 है0, 4022 रकबा 0.01 है0, 4023 रकबा 0.34 है0, 4024 रकबा 0.17 है0, 4025 रकबा 0.22 है0, 4027 रकबा 0.35 है0, 4028 रकबा 0.12 है0, 4029 रकबा 0.28 है0, 4030 रकबा 0.51 है0, 4031 रकबा 0.21 है0, 4032 रकबा 0.20 है0, 4034 रकबा 0.38 है0, 4035 रकबा 0.22 है0, 4036 रकबा 0.24 है0, 5495 रकबा 0.1300 है0, 5496 रकबा 0.0300 है0, 5497 रकबा 0.2700 है0, 5500 रकबा 0.2800 कुल खसरा 20 कुल रकबा 5.7300 हैक्टेयर वाकै ग्राम बगरूकलां, पटवार हल्का बगरूकलां, भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर के मौका एवम् राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.02.20 15:13:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: